को पेश हो।

16.12.24 अभिभाषक प्रार्थी उप. नहीं प्रार्थीगण स्वयं उप. नहीं न्यायालय समक्ष के बार-बार कई मरतबा आवाजें लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आये। प्र.वि. क्रमांक 212 RTA सं. 52/2018, अन्तर्गत [illegible] बनाम श्रीमती धन्नूबाई व अन्य अदम पैरवी। इसके हाजरी में खारिज किया जाता है प्रावली नस्तीबद्ध हो। प्रावली का परिणाम पंजिका के इन्द्राज कर बाद मियाद की रूम में शामिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:59:33 IST
Reason: SelfAttested